अज अदालतः– न्यायिक मजिस्ट्रेट धोद, सीकर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम महावीर प्रसाद वगैरह सी.आई.एस. संख्या–203/25 अपराध अंतर्गत धारा–13 आर.पी.जी.ओ.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.07.26	सहायक अभियोजन अधिकारी श्री रविंद्र ढ़ाका उपस्थित। अभियुक्तगण महावीर प्रसाद व रामकुमार न्यायालय के जारीशुदा जमानती वारंट की पालना में उपस्थित। अभियुक्तगण महावीर प्रसाद व रामकुमार की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार ने वकालतनामा पेश किया, शामिल पत्रावली रहे। अन्य अभियुक्त कानाराम का जारीशुदा जमानती वारंट अदम तामील प्राप्त हुआ है, पुनः जारी हो। इसी स्तर पर अधिवक्ता अभियुक्तगण महावीर प्रसाद व रामकुमार ने जाहिर किया कि अभियुक्तगण महावीर प्रसाद व रामकुमार पर आरोपित अपराध में अंवीक्षा में समय लगने की संभावना है अतः अभियुक्त का जमानत निवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए जमानत निवेदन स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त आगामी पेशी पर उपस्थित होने हेतु न्यायालय के संतोषप्रद रूपये 15,000/– की जमानत एवं इसी राशि का मुचलका पेश कर तस्दीक कराये कि वह प्रकरण में नियत तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, समरूप अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा तथा प्रकरण से संबंधित गवाह को उत्प्रेरणा, धमकी आदि नहीं देगा, तथा उक्त अभियुक्त यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित नहीं हो तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे अन्यथा न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जावे। आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से जमानत एवं मुचलका पेश किया जो बाद जांच तस्दीक किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। अभियुक्त को जमानत पर छोडा गया। ततपश्चात् अभियुक्तगण महावीर प्रसाद व रामकुमार को धारा 13 राजस्थान सार्वजनिक द्यूत निवारण अध्यादेश, 1950 का आरोप मौखिक रूप से सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्तगण महावीर प्रसाद व रामकुमार ने आरोपित अपराध सुन समझकर सही होना स्वीकार किया गया एवं स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पृथक से प्रस्तुत किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम महावीर प्रसाद वगैरह सी.आई.एस. संख्या–203/25 अपराध अंतर्गत धारा–13 आर.पी.जी.ओ.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभियुक्तगण द्वारा आरोप सुनाये जाने के प्रक्रम पर अपना अपराध स्वेच्छया स्वीकार किये जाने के आधार पर अभियुक्तगण 1. महावीर प्रसाद पुत्र कुल्डाराम, उम्र–35 साल, निवासी सिहोट बड़ी, पुलिस थाना धोद, जिला सीकर तथा 2. रामकुमार पुत्र नंदाराम, उम्र–36 साल, निवासी सिहोट बड़ी, पुलिस थाना धोद, जिला सीकर को धारा 13 राजस्थान सार्वजनिक द्यूत निवारण अध्यादेश, 1950 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। सजा के बिंदू पर सुना गया। अभियुक्तगण महावीर प्रसाद व रामकुमार के अधिवक्ता द्वारा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं होने के सम्बन्ध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अभियुक्तगण महावीर प्रसाद व रामकुमार की पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण उपलबध नहीं है। अतः अभियुक्तगण महावीर प्रसाद व रामकुमार को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत सम्यक प्रताड़ना देकर छोड़ा जाता है तथा उन्हें परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त 200/– रुपये (अक्षरे दो सौ रुपये) अभियोजन व्यय के रूप में जमा करावे। आदेशानुसार अभियुक्तगण महावीर प्रसाद व रामकुमार द्वारा अभियोजन व्यय की राशि रुपये 200–200 कुल 400 (अक्षरे चार सौ रुपये) जमा करवाई गई जो रसीद संख्या ....दिनांक 04.07.2026 के माध्यम से जमा की गई। प्रकरण अन्य अभियुक्त कानाराम की तलबी हेतु नियत है। अतः अभियुक्त कानाराम को जरिये जमानती वांरट 2000 रूपये से तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अभियुक्त कानाराम हेतु दिनांक ..... को पेश हो।	